

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह ,  
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग  
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता सह निकासी एवं एवं व्ययन पदाधिकारी,  
जल संसाधन विभाग झारखण्ड।

रॉची, दिनांक : 19/06/19

विषय :— वित्तीय वर्ष 2019-20 के मांग संख्या— 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-2700—मुख्य सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष-01— मुख्य सिंचाई—वाणिज्यिक, लघु शीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-01—तेनुघाट बाँध परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट मुख्य शीर्ष 2700—मुख्य सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट—I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :—

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2700—मुख्य सिंचाई	01 मुख्य सिंचाई— वाणिज्यिक	001—निदेशन तथा प्रशासन/ 01—तेनुघाट बाँध परियोजना	7.900

कुल आवंटित राशि —

रुपये सात लाख नब्बे हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट उपबंध ₹ 557.580 लाख ( पाँच करोड़ संतावन लाख अंठावन हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1681(वि.) दि. 16.06.15के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि के अनुमान्य राशि का भुगतान उक्त इकाई में आवंटित राशि से हीं किया जायेगा।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
- प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

( राजेन्द्र प्रसाद )


उप सचिव (अभि.)

( रमेश कुमार द्वृष्टि )

विशेष सचिव

8. सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एक मुश्त रथानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित विभाग के पत्रांक-737/वि., दिनांक 27.03.2018 एवं 518/वि., दिनांक 01.03.2019 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायेगी।
9. वित विभाग के पत्रांक - 29/बी.टी.ई.-15/2013-14/170, दिनांक 01.04.2014 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम रत्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा।
11. यदि आवंटित राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य के साथ अधियाचना प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। अतिरिक्त आवंटन की अधियाचना के विरुद्ध आवंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आवंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन को छोड़ कर) तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरंत प्रत्यार्पण कर दिया जाय। यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरंत प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण **Online** किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कॉपी में **Access No** तथा **Revoke No/Surrender No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित रथानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य रथानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2020 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे।
- नोट :** यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त


  
(अरुण कुमार सिंह) 18.6.19  
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 45

रॉची, दिनांक :- 19/06/19

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिन्दू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/हजारीबाग/बोकारो/तेनुघाट सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

  
(अरुण कुमार सिंह) 18.6.19  
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 45

रॉची, दिनांक :- 19/06/19


प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग /उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, प्रमंडल-3, रॉची को **Online Sanction** निर्गत करने हेतु/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/अपर मुख्य सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, ज० सं०वि०/वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त



(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

  
(रमेश कुमार दूबे)  
विशेष सचिव

  
(अरुण कुमार सिंह) 18.6.19  
अपर मुख्य सचिव

मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-2700-मुख्य सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-01-मुख्य सिंचाई वाणिज्यिक

लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-01-तेजुधाट बांध परियोजना

पत्रांक ५५ दिनांक १९/६/१९ का अनुलग्नक

क्र० सं	वित्तीय वर्ष 2019-2020	वेतन रिस्तूत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते	वेतन 15.11.2000 के एवं भत्ते रिस्तूत शीर्ष-02-वेतनादि	दर्शीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	दूरभाष वर्दी	विद्युत व्यय	विस्तृत शीर्ष-04-माटरगाड़ियां इंधन एवं परमाणुति	विस्तृत शीर्ष-07-माटरगाड़ियां इंधन एवं परमाणुति	विधि प्रभार कुल योग	राशि लाख रुपये में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	पूर्व का आवंटन	72.000	0.000	0.000	0.300	0.300	0.050	0.000	0.000	0.400	0.000
1	तेजुधाट बांध अंचल, तेजुधाट	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000
1	तेजुधाट बांध प्रांडल, तेजुधाट	72.000	0.000	0.000	1.300	0.300	0.050	0.000	0.000	0.400	0.000
	पूर्व का आवंटन	310.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000
	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000	6.000	0.500	0.100	6.900
	कुल आवंटन	310.000	0.000	0.000	0.200	0.550	0.050	0.000	0.800	0.100	317.700
	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	1.000	0.300	0.000	6.000	0.500	0.100	7.900

नोट: वित्त विभाग के पत्रांक 11/विविध-14/2010-69/बजट दिं 11.02.13 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.03.2013 तक का बकाया शैत्या मानते हुए नये सिरे से विपत्रीकरण के आधार पर ही मुग्यतान अनुमात्य है।

कुल आवंटित राशि-

रुपये सात लाख नब्बे हजार मात्र

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अधि)

(रमेश कुमार द्वेरा)

(अरुण कुमार सिंह)  
अपर मुख्य सचिव  
12.6.19